समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.कं. –II/2016/निगरानी

1–जण्डेल सिंह पुत्र रोशन सिंह रावत
2–विमल पुत्र रामजीलाल रावत
3–महाराज सिंह पुत्र रोशन रावत
4–भंवरसिह पुत्र रोशन सिंह रावत
निवासीगण ग्राम चोरेका हाल निवासी बीरपुर तह.बीरपुर जिला श्योपुर म.प्र.
5–बंटी पुत्र नारायण रावत
6–जयराम पुत्र प्रभू रावत
7–बिश्राम पुत्र प्रभू रावत
8–शिवराम पुत्र प्रभू रावत
9–रामू पुत्र प्रभू रावत
10–गंगा बेवा बाबु रावत
सभी निवासीगण ग्राम चोरेका तह.बीरपुर हाल निवासी ग्राम लाडपुरा तह.सबलगढ़ जिला मुरैना

.....निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

म.प्र.शासन

.....गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.रा.सं.1959 की धारा–50 विरूद्ध न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर के प्र.कं. 13/2010–11/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.02.2013

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न निगरानी पेश है:–

निगरानी के संक्षिप्त सार इस प्रकार है:–

यह कि आवेदकगण कृषि कार्य करने वाले पिछडा वर्ग के कृषक है। आवेदकगणों ने अपने समीपस्थ ग्राम चौरेका तह. बीरपुर जिला श्योपुर में परिवार के पालन पोषण हेतु बेहड भूमि को अपनी शारीरिक मेहनत एवं पैसे खर्च करके कृषि योग्य बनाया तथा उस पर काबिज होकर खेती करते हुए

क्रमशः.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2644–एक/2016 जिला–श्योपुर .

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
6.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 13/2010–11/स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02/02/13 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सक्षम पेशी दिनांक 15/4/19 **अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना**	